छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
cg.school.edu.dept@gmail.com

क्र. एफ 02–06 / 2014 / 20–2(तीन)   नवा रायपुर अटल नगर,दि.28/ 02 / 2024

प्रति,

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर

समस्त संभागायुक्त
छत्तीसगढ़

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषयः– गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में ।

––00––

राज्य शासन को बहुधा यह शिकायत प्राप्त होती है कि विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न है। गैर शिक्षकीय संलग्नीकरण से शिक्षण का कार्य प्रभावित होता है।

2/ निर्देशानुसार गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त किया जाकर, उन्हें उनके मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य हेतु कार्यमुक्त किया जाये। संलग्नीकरण समाप्त किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र 07 दिवस के भीतर संचालक, लोक शिक्षण को अनिवार्यतः प्रेषित करें।

3/ यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा। इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(पुलक भट्टाचार्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर..................

पृ0क्र0एफ 02–06/2014/20–2(तीन) नवा रायपुर अटल नगर,दि.29/02/2024

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान0 मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर, **उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।**
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग.................................. **उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।**
4. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, रायपुर, **उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।**
5. प्रबंध संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, रायपुर, **उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।**
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ **उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।**
7. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग